पत्रांक 03/ऊ०(यो०)14/16.............

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेषक,

आर०के० श्रीवास्तव,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा :– वित्त विभाग

राँची, दिनांक ....

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रियान्वित करायी जाने वाली योजनाओं में से 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन गोड्डा एवं 220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा–दुमका (220के०वी०) संचरण लाईन तथा 220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा–ललमटिया संचरण लाईन के निर्माण हेतु रु० 189.50 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि रु० 668.00 करोड़ के विरूद्ध उक्त योजना हेतु रु० 30.00 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत ।

राज्य की संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निमित विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है, फिर भी मजबूत नेटवर्क के अभाव में जनता को समुचित एवं अबाधित विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है । राज्य में संचरण लाईन के नेटवर्क के विकास हेतु झा०ऊ०सं०नि०लि० द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है । आर०जी०जी०भी०वाई० एवं नये उद्योगों के अधिष्ठापन के फलस्वरूप राज्य में विद्युत की मॉग की प्रतिपूर्ति हेतु सुदृढ़ एवं स्थायी विद्युत की आपूर्ति आवश्यक है । इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु नये ग्रिड सब–स्टेशन एवं सम्बन्धित संचरण लाईन सभी के लिए 24X7 विद्युत आपूर्ति योजना के अंतर्गत विकसित करने की योजना है । उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के अंत तक राज्य के सभी जिलों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

2. प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि० के पत्रांक 126, दि० 16.06.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रियान्वित करायी जाने वाली योजनाओं में से 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन गोड्डा एवं 220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा–दुमका (220के०वी०) संचरण लाईन तथा 220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा–ललमटिया संचरण लाईन के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन, निदेशक मंडल में प्रस्तुत एजेंडा की प्रति के साथ–साथ अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस योजना हेतु कुल रु० 189.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ योजनाओं को ससमय शुरू करवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु० 30.00 करोड़ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रस्तावित योजना निम्नवत है :–

क्र०	योजना का नाम	अनुमोदित राशि
1	220/132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन गोड्डा	रु० 95.00 करोड़
2.	220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा–दुमका (220के०वी०) संचरण लाईन	रु० 57.00 करोड़
3.	220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा–ललमटिया संचरण लाईन	रु० 37.50 करोड़
	कुल	रु० 189.50 करोड़

3. उल्लेखनीय है कि प्राप्त डी०पी०आर० एवं तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार योजना की राशि क्रमशः रु० 94,98,47,476.40, 56,99,22,358.70 एवं रु० 37,48,68,775.55 अर्थात कुल रु० 1,89,46,38,610.65 दर्शायी गयी है

Scanned by CamScanner

। साथ ही प्राप्त पत्र में यह अंकित है कि ग्रिड निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन चिन्हित किया जा रहा है तथा चिन्हित जमीन उपलब्ध करवाने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है ।

4. झा०ऊ०सं०नि०लि० के निदेशक मंडल की बैठक दि० 26.04.2016 में 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन गोड्डा के लिए रु० 95.00 करोड़, 220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा-दुमका (220के०वी०) संचरण लाईन के लिए रु० 57.00 करोड़ एवं 220 के०वी० डबल सर्किट गोड्डा-ललमटिया संचरण लाईन के लिए रु० 37.50 करोड़ अर्थात कुल रु० 189.50 करोड़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है साथ ही निदेशक मंडल में प्रस्तुत एजेंडा में यह भी उल्लेख किया गया है कि संचरण लाईन के लागत में फॉरेस्ट क्लियरेंश, रेलवे क्लियरेंश, RoW एवं अन्य वैधानिक क्लियरेंश शामिल है ।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक 2500 दि० 04.10.2016 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 21.10.2016 में मद सं० 06 में लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि रु० 668.00 करोड़ के विरूद्ध उक्त योजना हेतु **रु० 30.00 करोड़ (तीस करोड़)** झा०ऊ०सं०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. उक्त स्वीकृत राशि निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी :-

क्र०	बजटशीर्ष	राशि
1	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10पी680100789370763	रु० 3,60,00,000.00 (तीन करोड़ साठ लाख)
2	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10पी680100796370763	रु० 7,80,00,000.00 (सात करोड़ अस्सी लाख)
3	मुख्य शीर्ष-6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, लघु शीर्ष-800-विद्युत बोर्डो के लिए अन्य कर्ज उप शीर्ष-37-झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को संचरण हेतु ऋण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम विपत्र कोड 10पी680100800370763	रु० 18,60,00,000.00 (अठारह करोड़ साठ लाख)
	कुल	रु० 30,00,00,000.00 (तीस करोड़)

7. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० को दिये जाने वाली ऋण की शर्त्ते निम्न प्रकार होंगी:-
   (क) ऋण का पुनः भुगतान 10(दस) बराबर वार्षिक किस्तों में होगा। इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी एवं तदनुसार अन्य किस्तों की अदायगी प्रत्येक वर्ष होगी।
   (ख) इस ऋण पर 13 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा ।
   (ग) समय पर भुगतान करने पर 1/4 प्रतिशत की छूट देय होगा ।
   (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा ।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे । राशि का विकलन सचिवालय कोषागार, डोरंडा, रॉची से किया जाएगा तथा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पी०एल० खाता में जमा किया जाएगा ।

9. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा निम्न शर्त्तो का अक्षरशः पालन किया जाएगा :-
   i) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

Scanned by CamScanner

ii) योजना का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

iii) अंकेक्षण हेतु लेखा संबंधी कागजात एवं विवरणी का संधारण ससमय करेंगे ।

iv) राशि की निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2003, वित्त विभाग के पत्रांक 2247, दि० 12.04.2002, कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

v) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण नहीं हो रहा हो । साथ ही, इस योजनान्तर्गत राशि किसी अन्य शीर्ष से व्यय नहीं की जा रही हो ।

10. अनुरोध है कि अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पदनाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० /–

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

गोपनीय मुहरबंद

ज्ञापांक : 03 / ऊ०(यो०)14 / 16.................. दिनांक : ....

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /–

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 03 / ऊ०(यो०)14 / 16.................. दिनांक : ....

प्रतिलिपि – विशेष सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /–

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 03 / ऊ०(यो०)14 / 16...135... दिनांक : 03/11/16

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, झा०ऊ०सं०नि०लि०, राँची / उपायुक्त–राँची / अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग / अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव, ऊर्जा के प्रधान आप्त सचिव / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

31/x/2016

Scanned by CamScanner